

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 325]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 जून 2026 — ज्येष्ठ 25, शक 1948

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR/7641/2026/PWD.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 3,4,5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक-9824/एफ/4-12/2011/19/स्था., दिनांक 16 दिसम्बर 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा के साथ, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अधीन सेवा, जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्रमुख अभियंता (कार्यालय)	निर्माण करने हेतु ठेकेदारों का पंजीयन वर्ग ई, डी, सी एवं बी हेतु	30 कार्य दिवस	वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियंता	मुख्य अभियंता (योजना) कार्यालय प्रमुख अभियंता	प्रमुख अभियंता
2.	प्रमुख अभियंता (कार्यालय)	बेरोजगार इंजीनियर डिप्लोमा एवं बी.ई. पंजीयन हेतु	15 कार्य दिवस	वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियंता	मुख्य अभियंता (योजना) कार्यालय प्रमुख अभियंता	प्रमुख अभियंता
3.	कार्यपालन अभियंता	यूटिलिटी सर्विसेस (विद्युत केबल/गैस पाईप लाईन, पेट्रोलियम पाईप लाईन, वृहद	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी	कार्यपालन अभियंता	अधीक्षण अभियंता

		पेय जल पाईप लाईन) आदि के लिए राज्य के सड़को, सी.जी.आर.डी.सी. एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों के राइट ऑफ वे उपयोग की अनुमति				
4.	प्रमुख अभियंता (कार्यालय)	निर्माण कार्य हेतु ठेकेदारों का पंजीयन ऑनलाईन वर्ग ए	45 कार्य दिवस	वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियंता	मुख्य अभियंता (योजना) कार्यालय प्रमुख अभियंता	प्रमुख अभियंता
5.	कार्यपालन अभियंता	दूरधता प्रमाण पत्र जारी करना (नागरिक सेवाएँ)	10 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी	कार्यपालन अभियंता	अधीक्षण अभियंता
6.	क्षेत्रीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्य राजमार्ग/अनुसूचित सड़क से प्रवेश/निकास के लिए MORTH एवं दि"निर्देशों के अंतर्गत स्वीकृति	30 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग	क्षेत्रीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग	मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग
7.	कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों के साथ भवन निर्माण रेखा का निर्धारण (नागरिक सेवाएँ)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग	कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग	अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 15th June 2026

NOTIFICATION

No. GENCOR/7641/2026/PWD.— In exercise of the powers conferred by Section 3,4,5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011) and in supersession of departmental previous notification number 9824/F/4-12/2011 /19/Est. dated 16-12-2011, the State Government, hereby, notifies the name of office, services to be provided by the department as specified in the Schedule given below, along with the stipulated time limit for delivery of such services, the designation of the Designated Officer (Post) responsible for providing the services, the Competent Authority, and the designation of the Appellate Authority, namely :-

SCHEDULE

S.No	Name of the Office/Body/ Agency	Service to be provided under the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011	Time limit for providing the service (Working days)	Designated Officer (Post) responsible for providing the service	Competent Authority	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Engineer-in-Chief (Office)	Registration of contractors for construction category E,D,C and B	30 working days	Finance Controller (O/o Engineer-in-Chief)	Chief Office Planning (O/o Engineer-in-Chief)	Engineer-in-Chief

2.	Engineer-in-Chief (Office)	Engineer Unemployment Diploma and BE Registration	15 working days	Finance Controller (O/o Engineer-in-Chief)	Chief Office Planning (O/o Engineer-in-Chief)	Engineer-in-Chief
3.	Divisional Executive Engineer	Permission for use of Right of way of State Roads, CGRDC and National Highway roads for utility services (Electricity cable/Gas Pipeline, Petroleum pipeline, large drinking water pipeline etc.)	30 working days	Sub-Divisional officer	Executive Engineer	Superintending Engineer
4.	Engineer-in-Chief (Office)	Online registration of contractors for construction work Category A	45 working days	Finance Controller (O/o Engineer-in-Chief)	Chief Office Planning (O/o Engineer-in-Chief)	Engineer-in-Chief
5.	Divisional Executive Engineer	Issuance of Distance certificate (Citizen Services)	10 working days	Sub-Divisional Officer	Executive Engineer	Superintending Engineer
6.	Regional Officer, Ministry of Road Transport And Highways (MoRTH)	Clearance for entry/exit from State Highway/ Scheduled Road under MORTH and Guidelines	30 working days	Executive Engineer, National Highways (NH)	Regional Officer, Ministry of Road Transport And Highway (MoRTH)	Chief Engineer, National Highway (NH)
7.	Executive Engineer, National Highway (NH)	Fixation of Building line along National Highway Roads (Citizen Services)	30 working days	Sub-Divisional Officer, National Highway (NH)	Executive Engineer, National Highway (NH)	Superintending Engineer National Highway (NH)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MUKESH KUMAR BANSAL, Secretary.